

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.2014/सीआइएस/यूटीएस-कम-पीआरएस/डेलेग./3

नई दिल्ली, दिनांक 15-06-2015

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.

परिशिष्ट

विषय: संयुक्त यूटीएस-सह-पीआरएस टर्मिनल की संस्थापना और उसकी शुरुआत करना.

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 18-09-2014 का समसंख्यक पत्र.

* * *

यूटीएस-सह-पीआरएस प्रबंध किए जाने की नीति बोर्ड के उपर्युक्त पत्र के तहत उदारीकृत की गई थी.

2. इसी संदर्भ में उक्त नीति के पैरा 2 के मौजूदा उप-पैरा (vi) के नीचे निम्नलिखित को उप-पैरा (vii) के रूप में अंतर्विष्ट किया जाए:

(vii) ऐसे सभी स्टेशनों, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, और जहाँ केवल अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) काउंटर शुरू किए गए या स्वीकृत हों, को संयुक्त यूटीएस-सह-पीआरएस टर्मिनल में परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते वह व्यवहारिक हो और उसके लिए औचित्य बनता हो.

3. उक्त नीति की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

इसे रेल मंत्रालय के वाणिज्य निदेशालय के परामर्श और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है.


(राजीव गुप्ता)
निदेशक/सीआइएस)

सं.2014/सीआइएस/यूटीएस-कम-पीआरएस/डेलेग./3

नई दिल्ली, दिनांक 15-06-2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें.
2. प्रमुख निदेशक, लेखापरीक्षा, सभी भारतीय रेलें.
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली.


कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, सभी भारतीय रेलें.
2. कार्य. निदेशक/यात्री विपणन, रेलवे बोर्ड.
3. रेलवे बोर्ड की वित्त/व्यय-II एवं बजट शाखाएं.

8213
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.2014/CIS/UTS-cum-PRS/Deleg./3

New Delhi, dated 15-06-2015

The General Managers,
All Indian Railways.

ADDENDUM

Subject: Installation and commissioning of combined UTS-cum-PRS terminals.

Reference: Board's policy letter of even number dated 18-09-2014.

* * *

Policy on provision of UTS-cum-PRS was liberalized vide Board's letter quoted above.

2. With reference to the same, following may be inserted as sub-para (vii) below the existing sub-para (vi) under para 2 in the said policy:

(vii) All those stations, irrespective of class, where only UTS counter has been introduced or is sanctioned, may be converted to a combined UTS-cum-PRS terminal, subject to feasibility and justification.

3. All other terms and conditions in the above said policy will remain unchanged.

This issues in consultation with Comml Dte and with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

o/c

Rajiv Gupta

(Rajiv Gupta)
Director/CIS

No.2014/CIS/UTS-cum-PRS/Deleg./3

New Delhi, dated 15-06-2015

Copy to:

1. The FA&CAOs, All Indian Railways.
2. Principal Directors of Audit, All Indian Railways.
3. The Dy. Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

P. Singh

For Financial Commissioner/Railways

Copy to:

1. CCMs, All Indian Railways.
2. EDPM, Railway Board.
3. F/X-II and Budget branches of Railway Board.

